गजट-अधिसूचनाएं

(Specimen of notifications in Hindi regarding appointments, postings, transfers, leave, etc., published in the Gazette of India)

प्रकाशक :

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद

एस. वाई. 68, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली

H
351.1
K 349 G;6

	1000
	7000
	5000
	5000
पंचमावृत्ति	5000

मूल्य
25 पैसे

H
351.1
K349G;
6

PH
351.1
K349G;6

PH
350.7
K 319

59190
1.9.78

आमुख

भारत सरकार ने मार्च 1961 में यह निर्णय किया था कि अप्रैल 1962 से भारतीय राजपत्र (गजट आफ इण्डिया) के कई भागों की अधिसूचनाएं अंग्रेजी के साथ हिन्दी में भी प्रकाशित हुआ करेंगी। संकल्पों (रेजोल्यूशनों) का प्रकाशन भी अंग्रेजी के साथ हिन्दी में अनिवार्य कर दिया गया था। 1967 में जो राजभाषा अधिनियम बना उसके अनुसार अब सभी अधिसूचनाएं द्विभाषी रूप में निकलनी आवश्यक हैं।

नियुक्ति, बदली, छुट्टी आदि की अधिसूचनाएं गजट में बहुत अधिक निकलती हैं। उनका हिन्दी रूपान्तर साधारण हिन्दी जानने वाला व्यक्ति भी आसानी से तैयार कर सके, इस दृष्टि से केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद ने विभिन्न प्रकार की गजट अधिसूचनाओं के नमूने उनके हिन्दी रूपान्तर सहित जुलाई 1962 में प्रकाशित किए थे।

इस संकलन की उपयोगिता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि इसका पहला संस्करण ही नहीं, अपितु क्रमशः द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ संकरण भी जल्दी-जल्दी समाप्त हो गए। अब इसका पांचवां संस्करण आपके हाथों में है।

हिन्दी का काम सभी मन्त्रालयों तथा कार्यालयों में निरन्तर बढ़ता जा रहा है। अधिसूचनाएं भी अब गजट में हिन्दी रूपान्तर के साथ प्रकाशित हो रही हैं। इसलिए यह पुस्तिका आपके दिनों दिन बढ़ते हुए कार्य में काफी सहायक होगी, ऐसा हमें विश्वास है।

पहले संस्करण की सामग्री का संकलन श्री हरिबाबू कंसल ने किया था। आगे के संस्करण वर्तमान रूप में सर्वश्री रघुनन्दनप्रसाद शर्मा, हरिबाबू कंसल तथा घनश्याम शर्मा के परिश्रम से निकले हैं। इस पुस्तिका का प्रकाशन शिक्षा मन्त्रालय द्वारा स्वीकृत अनुदान से हुआ है। परिषद उन सबकी आभारी है।

—महामन्त्री

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद

A. Appointments, confirmations, reversions and extension of service.

1. Shri .... is appointed as Statistical Officer (Class II) in the National Atlas Organisation in a temporary capacity with effect from 1st January, 1962 until further orders.

श्री·········को राष्ट्रीय एटलस संगठन में 1 जनवरी, 1962 से अगले आदेश तक अस्थायी रूप से सांख्यिकीय अफसर (श्रेणी II) नियुक्त किया गया है।

2. Shri..................... , a permanent Grade IV Officer of the Central Secretariat Service, has been appointed to officiate as Section Officer in the Department of Community Development for a period not exceeding 3 months with effect from 7th January, 1962.

श्री·········को, जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चतुर्थ ग्रेड के स्थायी अधिकारी हैं, 7 जनवरी, 1962 से लेकर अधिक से अधिक तीन महीने तक की अवधि के लिए सामुदायिक विकास विभाग में स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी नियुक्त किया गया है।

3. The President is pleased to appoint Shri .... , a permanent officer of the Punjab State Civil Service (Judicial Branch), to officiate as Junior Law Officer in the Law Commission Branch, Ministry of Law, Legislative Department, with effect from the forenoon of the 5th January, 1962 and until further orders.

राष्ट्रपति ने पंजाब राज्य सिविल सेवा (न्याय शाखा) के स्थायी अधिकारी श्री·········को 5 जनवरी, 1962 के पूर्वाह्न से लेकर अगला आदेश मिलने तक विधि मन्त्रालय के विधान विभाग की विधि आयोग शाखा में स्थानापन्न कनिष्ठ विधि अधिकारी नियुक्त किया है।

4. The President is pleased to appoint Shri .... , a permanent officer of the Section Officer's Grade of the Central Secretariat Service, to officiate in Grade I of the Service, for the period from 27th December, 1961 to 20th March. 1962.

राष्ट्रपति ने केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के स्थायी अधिकारी श्री·········को 27 दिसम्बर, 1961 से लेकर 20 मार्च, 1962 तक की अवधि के लिए उस सेवा के प्रथम ग्रेड में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया है ।

5. The President is pleased to appoint Shri........ ...., formerly Deputy Secretary in the Ministry of Steel, Mines and Fuel (Department of Iron and Steel), as Officer on Special Duty in the Ministry of Commerce and Industry with effect from the afternoon of the 29th December, 1961, until further orders.

राष्ट्रपति इस्पात, खान और ईंधन मन्त्रालय (लोहा और इस्पात विभाग) के भूतपूर्व उपसचिव श्री·········को 29 दिसम्बर, 1961 के अपराह्न से अगले आदेश दिए जाने तक वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में विशेष अधिकारी नियुक्त करते हैं ।

6. The President is pleased to appoint Shri .... , a Police Officer on deputation from Uttar Pradesh, as Deputy Inspector General of Police (Investigation and Anti-Corruption Division), Central Bureau of Investigation, New Delhi, with effect from the forenoon of Ist July, 1964 until further orders.

उत्तर प्रदेश के प्रतिनियुक्त पुलिस अधिकारी, श्री·········को राष्ट्रपति 1 जुलाई, 1964 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक, उप महानिरीक्षक, पुलिस (जांच तथा भ्रष्टाचार निरोध प्रभाग) केन्द्रीय अपराध अनुसंधान ब्यूरो. नई दिल्ली में नियुक्त करते हैं ।

7. In exercise of the powers conferred by Clause (1) of Article 224 of the Constitution the President is pleased to appoint Shri .... to be an Additional Judge of the Rajasthan High Court for a period of two years with effect from the 13th October, 1964.

संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति श्री·········को 13 अक्तूबर, 1964 से दो साल के लिए राजस्थान उच्च-न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त करते हैं ।

8. The Secretary to the Government of India in the Planning Commission is pleased to appoint Shri .... a permanent officer of grade IV of the Central Secretariat Service to officiate in the Section Officer's grade of the Service in the cadre of the Planning Commission for a period from the 22nd July, 1964 to the 19th September, 1964.

भारत सरकार के सचिव, केन्द्रीय सचिवालय सेवा ग्रेड चार के स्थायी अधिकारी श्री·········को 22 जुलाई, 1964 से 19 सितम्बर, 1964 तक केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में योजना आयोग के संवर्ग में स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं।

9. The President is pleased to grant extension of service to Shri.............., a substantive Director in the Department of.............. for a further period of one year with effect from the forenoon of the 24th February, 1962.

राष्ट्रपति·········विभाग के स्थायी निदेशक श्री·········का सेवाकाल 24 फरवरी, 1962 के पूर्वाह्न से एक वर्ष के लिए और बढ़ाते हैं।

10. In continuation of this Ministry's Notification No................. dated the 12th March, 1963, the term of appointment of Shri............... as Secretary, National Council of Educational Research and Training. New Delhi is extended for a further period of one year from the 28th August, 1964 to the 27th August, 1965.

इस मन्त्रालय की अधिसूचना सं०········ दिनांक 12 मार्च, 1963 के सिलसिले में सचिव, शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण राष्ट्रीय परिषद, नई दिल्ली के पद पर श्री·········की नियुक्ति की अवधि 28 अगस्त, 1964 से 27 अगस्त, 1965 तक एक वर्ष के लिए और बढ़ा दी गई है।

11. Shri..............relinquished charge of the office of Section Officer and assumed charge as Assistant Director (Admn.) in the Office of the Development Commissioner, Small Scale Industries, New Delhi on the afternoon of 12th January, 1962.

श्री·········ने 12 जनवरी, 1962 को अपराह्न में अनुभाग अधिकारी का कार्य-भार छोड़ा और विकास कमिश्नर, लघु उद्योग, नई दिल्ली के कार्यालय में सहायक निदेशक (प्रशासन) का कार्य-भार सम्भाल लिया।

12. The Director General, Supplies and Disposals, hereby appoints Shri.............................., Superintendent in the Directorate of Supplies and Disposals, Bombay to officiate as Assistant Director of Supplies (Grade II) in the Directorate General of Supplies and Disposals, New Delhi with effect from the 15th January, 1962.

पूर्ति तथा निपटान के महानिदेशक एतद्द्वारा श्री····· ···, अधीक्षक, पूर्ति तथा निपटान निदेशालय, बम्बई को पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली में 15 जनवरी, 1962 से स्थानापन्न रूप से सहायक पूर्ति निदेशक (ग्रेड-दो) नियुक्त करते हैं।

13. In continuation of this Ministry's Notification No................ dated 28th January, 1964 the President is pleased to grant the following officers officiating promotion in absentia, as Superintending Engineers (Civil). in the Central Public Works Department, under Rule 30 of the Fundamental Rules for the periods indicated against their name :—

Name	*Period*
1. Shri...............	1-1-1964 to 30-4-1964
2. Shri...............	1-1-1964 to 30-4-1964
3. Shri...............	8-1-1964 to 29-2-1964

इस मन्त्रालय की अधिसूचना सं०·········दिनांक 28 जनवरी, 1964 के सिलसिले में राष्ट्रपति ने मूल नियमावली के नियम 30 के अधीन निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने लिखी अवधि के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में उनकी अनुपस्थिति में अधीक्षक इन्जीनियर (सिविल) के रूप में स्थानापन्न पदोन्नति प्रदान की है :—

नाम	अवधि
1. श्री ·········	1-1-1994 से 30-4-1964 तक
2. श्री···········	1-1-1964 से 30-4-1964 तक
3. श्री···········	8-1-1964 से 29-2-1964 तक

14. The officiating appointments of the following individuals as Assistant Research Officers (General Central Service Class II) in this Research Institute are extended from the dates noted against each until furthers orders :—

(1) Shri ...., Assistant Research Officer - 24th December, 1961.

(2) Shri .. .., Assistant Research Officer—6th December, 1961.

इस अनुसंधान संस्था में निम्नलिखित व्यक्तियों की सहायक अनुसंधान अधिकारी (सामान्य केन्द्रीय सेवा द्वितीय श्रेणी) के पद पर की गई स्थानापन्न नियुक्तियों की अवधि को उनके नाम के आगे लिखी तारीख से अगले आदेश होने तक और बढ़ाया जाता है –

श्री·········, सहायक अनुसंधान अधिकारी—24 दिसम्बर, 1961

श्री·········, सहायक अनुसंधान अधिकारी— 6 दिसम्बर, 1961

15. Shri...................., an officiating Superintendent of Central Excise. Jamshedpur Circle held additional charge of Ranchi Circle with effect from 21st December, 1961 to 30th December, 1961 *vice* Shri........., Superintendent of Central Excise, Ranchi who proceeded on 9 days' earned leave.

केन्द्रीय उत्पाद कर के जमशेदपुर परिमंडल के स्थानापन्न केन्द्रीय उत्पाद कर अधीक्षक श्री········ ने, रांची के केन्द्रीय उत्पाद कर अधीक्षक श्री·········के 9 दिन की अर्जित छुट्टी पर जाने पर 21 दिसम्बर 1961 से 30 दिसम्बर 1961 तक रांची परिमण्डल का कार्य-भार संभाला।

16. Shri....................., Income-Tax Officer, B-Ward, Jullundur has been appointed, in addition to his own duties, as Income-Tax Officer, A-Ward, Jullundur, from 28th December, 1961 *vice* Shri...............who proceeded on leave.

श्री·········के छुट्टी चले जाने पर जालन्धर 'बी' वार्ड के आयकर अधिकारी श्री·········को उनके अपने काम के अलावा 28 दिसम्बर, 1961 से जालन्धर 'ए' वार्ड का भी आयकर अधिकारी नियुक्त किया गया है।

17. The President of India is pleased to recognise the appointment of ....as Vice Consul of the Federal Republic of Germany at Calcutta with effect from the 16th November, 1961.

भारत के राष्ट्रपति ने 16 नवम्बर, 1961 से श्री·········की कलकत्ते में जर्मनी के संघीय गणतन्त्र के उप कौन्सल के रूप में नियुक्ति को मान्यता प्रदान कर दी है।

18. The President is pleased to confirm Shri .... in the Senior Scale of the Indian Foreign Service with effect from the 27th February, 1964.

श्री ..... को राष्ट्रपति 27 फरवरी, 1964 से भारतीय विदेश सेवा के वरीय वेतन-क्रम में स्थायी करते हैं।

19. Shri ...., officiating Section Officer, Railway Liaison Office New Delhi is confirmed in his appointment with effect from 29th July, 1963.

रेलवे सम्पर्क कार्यालय, नई दिल्ली के स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी, श्री...... को 29 जुलाई, 1963 से उनके पद पर स्थायी किया जाता है।

20. The following officers of the Transportation and Mechanical Engineering Department are confirmed finally/provisionally as Chief Mechanical Engineers, Indian Railways, from the date noted against each :—

Name of officer	Date from which confirmed	
	Provisionally	Finally
Shri.....................	2nd April, 1961	7th March, 1962
,, ...	Do.	25th September, 1962.
,, ...	Do.	8th December, 1963.

परिवहन और यांत्रिक इंजीनियरिंग विभाग के निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के सामने दी गई तारीख से भारतीय रेल में अन्तिम/अनन्तिम रूप से मुख्य यांत्रिक इंजीनियर के रूप में स्थायी किए जाते हैं।

अधिकारी का नाम	तारीख जिससे स्थायी किए गए	
	अनन्तिम रूप से	अन्तिम रूप से
श्री	2 अप्रैल, 1961	7 मार्च, 1962
श्री	,,	25 सितम्बर, 1962
श्री	,,	8, दिसम्बर 1963

21. The President is pleased to grant the undermentioned officer permanent Commission in the rank of Pilot Officer with effect from 25th January, 1963 with antedate as mentioned against his name.

Technical Engineering Branch

Lall Singh (6905) with seniority for pay and promotion from 25th January, 1961.

राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी को 25 जनवरी, 1963 से पाइलट अफसर के ओहदे में स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं। यह पिछली तारीख से लागू होगा जो उनके नाम के आगे उल्लिखित है।

तकनीकी इंजीनियरिंग शाखा

लालसिंह (6905) वेतन तथा पदोन्नति की ज्येष्ठता 25 जनवरी, 1961 से।

22. Shri..............., a permanent Grade IV Officer of the Central Secretariat Service, who was appointed to officiate as Section Officer in the Ministry of Petroleum and Chemicals from 18th May, 1964 to 14th July, 1964 vide this Ministry's notification of even number dated the 18th May, 1964, reverted as Assistant with effect from the afternoon of 18th July, 1964.

दिनांक 18 मई, 1964 की इस मन्त्रालय की इसी संख्या की अधिसूचना के अनसार श्री.........का, जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चतुर्थ ग्रेड के स्थायी अधिकारी हैं और जिनको 18 मई, 1964 से 14 जुलाई, 1964 तक की अवधि के लिए पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया था, 18 जुलाई, 1964 के अपराह्न से सहायक के पद पर प्रत्यावर्तन कर दिया गया।

23. Shri.................., officiating Section Officer, reverted as officiating Assistant with effect from 8th July, 1964.

श्री........, स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी, को 8 जुलाई, 1964 से स्थानापन्न सहायक के रूप में प्रत्यावर्तित किया गया।

24. Shri......................., officiating Section Officer (Hindi) in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs has reverted to

substantive post of Hindi Translator in the same Department with effect from 1st April, 1963 (afternoon).

वित्त मंत्रालय के अर्थ विभाग के स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी (हिन्दी) श्री········पहली अप्रैल, 1963 (अपराह्न) से इसी विभाग में हिन्दी अनुवादक के अपने मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित हो गए हैं ।

25. Shri ...., retired Inspector General of Forests, is re-employed as Timber Adviser, Railway Board, with effect from 29th July, 1964.

श्री········, सेवा-निवृत्त इन्सपेक्टर जनरल, जंगलात को 20 जुलाई, 1964 से रेलवे बोर्ड में टिम्बर सलाहकार के पद पर पुनर्नियुक्ति की जाती है ।

26. In pursuance of Rules 3 & 4 of the Central Service (Temporary Service) Rules 1949, the President is pleased to appoint Dr........ ...., in quasi-permanent capacity in the post of Deputy Director, Labour Bureau, Simla with effect from 1st July, 1963.

केन्द्रीय सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1949 के नियम 3 और 4 के अनुसार राष्ट्रपति डा०········को 1 जुलाई, 1963 से स्थायिवत् रूप से श्रम ब्यूरो, शिमला के उप-निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं ।

B. Transfer, training and deputation.

27. On Transfer from the North Eastern Railway Shri .... officiating Assistant Engineer, joined the Central Railway on the 11th December, 1964.

पूर्वोत्तर रेलवे से तबादला होने पर श्री········, स्थानापन्न सहायक इंजीनियर ने 11 दिसम्बर, 1964 को मध्य रेलवे में कार्य-भार संभाल लिया है ।

28. On transfer from the Ministry of Commerce and Industry, the service of Shri ...., an officer of the Industrial Management Pool, has been placed at the disposal of Hindustan Steel Limited, Ranchi for appointment as.......................with effect from the forenoon of 3rd January, 1962.

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से बदली होने पर उद्योग प्रबन्धक वर्ग के अधिकारी श्री·········की सेवाएं 3 जनवरी, 1962 के पूर्वाह्न से·········के पद पर नियुक्ति के लिए हिन्दुस्तान स्टील लि०, रांची को सौंप दी गई।

29. On transfer and after expiry of leave, Shri .... , formerly Appellate Assistant Commissioner of Income-Tax, Moradabad, has taken over charge as Appellate Assistant Commissioner of Income-Tax. Patiala with effect from the forenoon of........................ relieving Shri....................of the additional charge.

स्थानान्तरण पर तथा छुट्टी समाप्त होने पर श्री·········ने, जो पहले अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त मुरादाबाद थे, श्री·········को अतिरिक्त कार्य-भार से अवमुक्त करते हुए·········के पूर्वाह्न से अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त पटियाला का कार्य-भार सभाल लिया है।

30. The following officers in the Office of the Chief Inspector of Mines have been placed on deputation to Canada for training in Mines Inspection. They made over charge of their office with effect from dates shown against each :—

S. No.	*Name of the officer*	*Designation and date of making over charge*
1.	Shri.................	Regional Inspector of Mines 11-5-1964 (A.N.)
2.	Shri.................	—do— 12-5-1964 (A.N.)

खानों के मुख्य निरीक्षक के कार्यालय के निम्नलिखित अधिकारी खान निरीक्षण में प्रशिक्षण लेने के लिए प्रतिनियुक्ति पर कनाडा भेजे गए हैं। उन्होंने अपने पद का कार्य-भार प्रत्येक के नाम के सामने उल्लिखित तारीख से छोड़ दिया है।

क्रमांक	अधिकारी का नाम	पद तथा कार्यभार छोड़ने की तारीख
1.	श्री············	प्रादेशिक खान निरीक्षक 11-5-64 (अपराह्न)
2.	श्री············	12-5-64 (अपराह्न)

31. On his return from training abroad, the services of Shri................ , Deputy Secretary to the Government of India in the Ministry of Community Development & Co-operation are placed at

the disposal of the National Co-operative Development Corporation from the forenoon of ....

विदेश में प्रशिक्षण लेकर लौटने पर श्री·········, उपसचिव, भारत सरकार, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय की सेवाएं·········के पूर्वाह्न से राष्ट्रीय विकास निगम को सौंपी जाती हैं।

32. The services of Shri...................., I. A. & A. S.. have been placed at the disposal of the Ministry of Home Affairs with effect from the afternoon of the 6th December, 1961 for apppointment as Finance Secretary to the Tripura Administration.

भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा के श्री·········की सेवाएं 6 दिसम्बर, 1961 के अपराह्न से गृह मंत्रालय को सौंप दी गई हैं ताकि उन्हें त्रिपुरा प्रशासन का वित्त सचिव नियुक्त किया जा सके।

33. Shri...................., Labour Inspector (Central), ...has been transferred temporarily with effect from the 22nd December. 1961 and posted in the same capacity to the office of the Labour Inspector (Central), Delhi (for verification work) with effect from the forenoon of the same date.

·········के श्रम निरीक्षक (केन्द्रीय) श्री·········का 22 दिसम्बर, 1961 से अस्थायी रूप से तबादला कर दिया गया है। वे उसी तारीख को पूर्वाह्न से श्रम निरीक्षक (केन्द्रीय) दिल्ली के कार्यालय में (सत्यापन कार्य के लिए) तैनात कर दिए गए हैं।

34. On transfer to the Ministry of External Affairs, Shri.......................... relinquished charge of his post as Ambassador of India, Kabul, on the forenoon of the 11th July, 1964.

विदेश मंत्रालय को स्थानान्तरित होने पर श्री·········ने भारत के राजदूत, काबुल के पद का कार्य-भार 11 जुलाई, 1964 को पूर्वाह्न में छोड़ दिया।

35. On transfer from the Ministry of Defence, Shri...................., a permanent officer of Grade II (combined) of the C. S.S.S. cadre of the Ministry of Defence, is appointed as Private Secretary to the Minister of Supply in the Ministry of Industry and Supply with effect from the forenoon of the 15th June, 1964 until further orders.

रक्षा मन्त्रालय से स्थानान्तरण होने पर श्री·········को, जो उसी मन्त्रालय में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग ग्रेड दो (संयुक्त) के स्थायी अधिकारी हैं, 15 जून, 1964 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक उद्योग तथा पूर्ति मन्त्रालय में मन्त्री के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है।

36. The services of the following Scientific Officers/Engineers (Grade SC-2) of the Atomic Energy Eastablishment, Trombay are placed at the disposal of the Project Administrator, Tarapur Atomic Power Project with effect from 6th August, 1961 until further orders :—

1. Shri.................
2. Shri.................

परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे के निम्नलिखित विज्ञान अधिकारियों/इंजीनियरों (ग्रेड एस० सी० 2) की सेवाएं 6 अगस्त, 1961 से अगले आदेश होने तक परियोजना प्रशासक तारापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना को सौंपी जाती है :

1. श्री...................
2. श्री...................

37. The services of Shri........................, Assistant Instructor, Southern Forest Rangers College, Coimbatore were replaced, at the disposal of the Government of Mysore with effect from the forenoon of 1st November, 1961.

श्री············, सहायक शिक्षक, सदर्न फारेस्ट रेन्जर्स कालेज, कोयम्बत्तूर की सेवाएं 1 नवम्बर, 1961 के पूर्वाह्न से मैसूर सरकार को पुन: सौंप दी गईं।

38. Shri................, relinquished charge of the post of Lecturer in Modern History in the Indian Aid Mission, Nepal, with effect from the afternoon of 30th June, 1964 and his services have been replaced at the disposal of the Education Department, Government of Andhra Pradesh, with effect from the same date.

श्री ··········ने 30 जून, 1964 को अपराह्न में भारतीय सहायता मिशन, नेपाल में आधुनिक इतिहास के प्राध्यापक के पद का कार्य-भार छोड़ दिया और

उल्लिखित तारीख से उनकी सेवाएं शिक्षा विभाग; आंध्र प्रदेश सरकार को पुनः सौंप दी गई हैं।

39. Consequent on his being placed on deputation on foreign service with UNESCO for assignment in Kenya, Shri........ .... relinquished charge of the post of Director of Programmes, Directorate General, All India Radio, New Delhi on the afternoon of the 3rd July, 1964.

केन्या में काम करने के लिए विदेश सेवा पर यूनेस्को में प्रतिनियुक्ति होने पर श्री············ने 3 जुलाई, 1964 के अपराह्न को आकाशवाणी महानिदेशालय नई दिल्ली के कार्यक्रम निदेशक के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

40. The period of deputation of Shri....................., a permanent Section Officer of the C. S. S. to Hindustan Steel Limited has been extended for a further period of 3 months and 3 days with effect from 1st October, 1961 to 3rd January, 1962 (A.N.)

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के स्थायी अनुभाग अधिकारी श्री··············की हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में प्रतिनियुक्ति की अवधि 1 अक्तूबर, 1961 से लेकर 3 जनवरी 1962 (अपराह्न) तक 3 महीने और 3 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है।

41. Shri..............., Chief Engineer, ... Institute, Kanpur, has been deputed to Australia for training under Colombo Plan for a period of six months plus the time spent on to and for journey with effect from the 1st January, 1962 (afternoon).

·········संस्थान, कानपुर के मुख्य इंजीनियर श्री············को कोलम्बो योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण के लिए 1 जनवरी 1962 के अपराह्न से 6 महीने और आने जाने की यात्रा में लगने वाले समय के लिए आस्ट्रेलिया भेजा गया है।

42. On completion of training in the Indian Audit and Accounts Service Training School, Simla, Shri............ ......, Probationer, has been posted for further training in the office of the Accountant General, Madras with effect from the 12th December, 1961.

भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा के परखावीन अधिकारी श्री·········को भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा प्रशिक्षण स्कूल, शिमला में प्रशिक्षण समाप्त

कर लेने पर आगे के प्रशिक्षण के लिए 12 दिसम्बर, 1961 से महालेखाकार मद्रास के कार्यालय में तैनात कर दिया गया है।

C. Leave

43. Shri..................Assistant Manager (Admn), Government of India Press has been granted earned leave for 52 days with effect from 8th January, 1962 with permission to prefix the 7th January, 1962, (being Sunday) to his leave.

भारत सरकार प्रेस के सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) श्री.........को 8 जनवरी, 1962 से 52 दिन की अर्जित छुट्टी मंजूर की गई है और 7 जनवरी, 1962 को रविवार होने के कारण छुट्टी में जोड़ने की अनुमति दी गई है।

On expiry of leave, Shri................. ...is likely to resume duties of Assistant Manager (Admn.) at the station from which he proceeded on leave.

छुट्टी की समाप्ति पर श्री............संभवत: सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) का कार्य-भार उसी स्थान पर ग्रहण करेंगे जहां से वे छुट्टी पर गए हैं।

44. Shri................., Junior Technical Officer, is granted earned leave for 5 days with effect from 26th December, 1961 to 30th December, 1961 with permission to prefix/suffix 24th December, 1961 and 25th December, 1961 and 31st December, 1961.

श्री........., कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी को 26 दिसम्बर, 1961 से 30 दिसम्बर, 1961 तक 5 दिन की अर्जित छुट्टी दी जाती है। उन्हें अपनी छुट्टी के साथ 24 तथा 25 तथा 31 दिसम्बर 1961 को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

Shri........ ....would have continued to perform the duties of Junior Technical Officer but for proceeding on leave and on the expiry of leave, he is likely to resume duty in the same post of Junior Technical Officer at Kanpur. The above leave period will count for his next increment.

श्री........यदि छुट्टी पर न जाते तो कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी का काम करते रहते। छुट्टी से लौटने के बाद वह संभवत: कानपुर में कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी

के पद पर ही काम करेंगे। छुट्टी की अवधि उनकी अगली वेतन-वृद्धि के लिए गिनी जाएगी।

45. On the expiry of his leave Shri....................resumed charge of the post of the Assistant Director, Intelligence Bureau, Government of India, Jammu with effect from the forenoon of the 1st January, 1962.

श्री............ने अपनी छुट्टी की समाप्ति पर 1 जनवरी, 1962 के पूर्वाह्न से सहायक निदेशक, खुफिया ब्यूरो, भारत सरकार, जम्मू का पद संभाल लिया है।

46. On return from maternity leave Dr. (Mrs.).........resumed charge of the Lady Assistant Surgeon, Grade I, under the Contributory Health Service Scheme, New Delhi, on the forenoon of 27th December, 1961

डाक्टर (श्रीमती).........ने प्रसूति छुट्टी से लौटकर 27 दिसम्बर, 1961 के पूर्वाह्न से अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना, नई दिल्ली के अन्तर्गत महिला सहायक सर्जन ग्रेड 1, का कार्य-भार सभाल लिया।

47. This Directorate Notification No. 3(12) / 60-SI dated the 27th December, 1961 granting earned leave for 20 days with effect from 14th December, 1961, to Shri................, Station Director, All India Radio, Ahmedabad. is hereby cancelled.

निदेशालय की अधिसूचना संख्या 3 (12) 60-एस० आई० तारीख 27 दिसम्बर 1961 को रद्द किया जाता है, जो श्री............, केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी अहमदाबाद को 14 दिसम्बर, 1961 से 20 दिन की अर्जित छुट्टी दिए जाने के बारे में थी।

48. The undermentioned officers are granted leave ;—

निम्नलिखित अधिकारियों को छुट्टी प्रदान की जाती है।

(1) Shri.........., temporary Assistant Editor, earned leave for 4 days from 4th October, 1961.

(2) Shri.............. .. ..

(1) श्री............अस्थायी सहायक सम्पादक, 4 दिन की अर्जित छुट्टी, 4 अक्तूबर, 1961 से।

(2) श्री..................

D. Resignation, suspension, retirement, death, etc.

49. On winding up of the Office of the Finance Commission, Shri............ , a permanent Grade I Officer of the Central Secretariat Service, has relinquished charge of his duties as Deputy Secretary in the Finance Commission with effect from the afternoon of 14th January, 1962.

वित्त आयोग के कार्यालय की समाप्ति पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के प्रथम ग्रेड के स्थायी अफसर श्री............ने 14 जनवरी, 1962 के अपराह्न से वित्त आयोग के उपसचिव पद का कार्य-भार छोड़ दिया है ।

50. The following Part-time Members of the Official Language (Legislative) Commission ceased to hold their offices in the Commission with effect from the dates indicated against each :—

1. Shri.................... } 31st January, 1964—afternoon.
2. Shri .... }
3. Shri.................... 12th April, 1964—forenoon.

राजभाषा (विधायी) आयोग के निम्नलिखित अंशकालिक सदस्य उनके नामों के सामने दी गई तारीखों से आयोग में अपने पदों पर नहीं रहे :—

1. श्री............ } 31 जनवरी, 1964 (अपराह्न)
2. श्री............ }
3. श्री.............. 12 अप्रैल, 1964 (पूर्वाह्न)

51. On attaining the age of sixty years, Shri...... ...., a permanent Assistant and officiating Section Officer of the Section Officer's Grade of the Central Secretariat Service in the cadre of the Ministry of Irrigation and Power, retired from service with effect from the forenoon of ....

साठ वर्ष की अवस्था होने पर श्री........, जो कि सिंचाई तथा बिजली मन्त्रालय के संवर्ग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी और स्थायी सहायक हैं............के पूर्वाह्न से सेवा निवृत्त हो गए हैं ।

52. On his selection for appointment of the post to Deputy Chief Adviser Factories (Safety Centre), Shri.............. ......, relinquished charge of the post of Assistant Chief Adviser, Factories .... Centre, Bombay, with effect from the forenoon of the................

श्री············ने उप-मुख्य कारखाना सलाहकार (सुरक्षा केन्द्र) के पद के लिए चुने जाने पर············के पूर्वाह्न से सहायक मुख्य कारखाना-सलाहकार,······केन्द्र, बम्बई के पद का कार्य-भार छोड़ दिया ।

53. The President is pleased to accept the resignation from service of Shri......................., Dy. Director (Designs) in the Office of Textile Commissioner, Bombay, with effect from the afternoon of 2nd January, 1962.

राष्ट्रपति ने बम्बई में वस्त्र आयुक्त के कार्यालय के उपनिदेशक (डिजाइन्स), श्री············का त्यागपत्र 2 जनवरी, 1962 के अपराह्न से स्वीकार कर लिया है ।

54. On acceptance of his resignation from Government service Shri.................., Officer on Special Duty (Printing Presses), Railway Board, relinquished charge of his duties with effect from 31st December, 1961 (A.N.).

रेलवे बोर्ड के विशेषाधिकारी (मुद्रणालय) श्री············ने सरकारी सेवा से त्यागपत्र स्वीकार किए जाने पर 31 दिसम्बर, 1961 (अपराह्न) से अपना कार्य-भार छोड़ दिया ।

55. On being placed under suspension, Shri....................made over charge of the office of Deputy Director of Supplies in the Directorate of Supplies and Disposals, Bombay on the 10th January, 1962.

मुअत्तल किए जाने पर श्री···············ने 10 जनवरी, 1962 के अपराह्न से पूर्ति और निपटान निदेशालय, बम्बई में पूर्ति उपनिदेशक के पद का कार्य-भार छोड़ दिया ।

56. Shri ...., an officiating Extra Assistant Director in the Central Water and Power Commission (Power Wing), is deemed to have resigned his appointment with effect from the afternoon of the 28th December, 1961,

श्री..............स्थानापन्न अतिरिक्त सहायक निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग (विद्युत् पक्ष) के लिए माना गया है कि उन्होंने 28 दिसम्बर, 1961 के अपराह्न से अपने पद से त्यागपत्र दे दिया।

57. The President regrets to announce the death of Shri .. .., a permanent officer of the Section Officer's Grade of the General cadre of the Indian Foreign Service, Branch 'B', and posted as Regional Passport Officer, Lucknow on ....

राष्ट्रपति को यह सूचना देते हुए दुःख है कि श्री.........की...............को मृत्यु हो गई। श्री...............भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' के सामान्य संवर्ग के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में स्थायी अधिकारी थे और लखनऊ क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे थे।

E. Miscellaneous

58. It is hereby notified for general information that the new BG line between .... and .... a length of 163.27 kilometres on the Northern and Eastern Railway has been opened to the public carriage of passengers on the Ist July, 1964.

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि......और......के बीच उत्तर और पूर्व रेलवे पर 163.27 किलोमीटर लम्बी बड़ी लाइन 1 जुलाई, 1964 को सार्वजनिक यात्रियों के यातायात के लिए खोल दी गई है।

59. Under Rule 2 (32) of the Rules of the Indian Council of Agricultural Research, the Government of India have been pleased to nominate Shri ....as the representative of the Co-operative Movement on the Indian Council of Agricultural Research for the period from 5th February , 1964 to the 31st March, 1966.

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् नियमावली के नियम 2(32) के आधीन भारत सरकार ने श्री......... ..को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में सहकारी आन्दोलन के प्रतिनिधि के रूप में 5 फरवरी, 1964 से 31 मार्च, 1966 तक की अवधि के लिए मनोनीत किया है।

60. The Government of India have decided to constitute a Panel of Economists, to advise them on various economic matters relating to the Ministry of Food and Agriculture.

Composition : – The composition of the Panel will be as under : –

Chairman : Shri...............

Members : Shri...............

Shri...............

Shri...............

Member-Secretary : Shri...............

Rules of Procedure

The Panel will meet as often as necessary, generally once a month, and will consider and advise on matters referred to them by the Minister for Food and Agriculture.

भारत सरकार ने अर्थशास्त्रियों का एक ऐसा पैनल बनाने का निर्णय किया है जो उसे खाद्य और कृषि मन्त्रालय से सम्बन्धित विभिन्न आर्थिक मामलों पर सलाह दे सके।

गठन :

पैनल का गठन निम्न प्रकार से होगा :—

अध्यक्ष :—श्री...............

सदस्य :—श्री...............

श्री...............

श्री...............

सदस्य सचिव :—श्री...............

59190
1.9.78

कार्य प्रणाली के नियम :

पैनल की बैठक, आवश्यकता पड़ने पर, साधारणतया महीने में एक बार हुआ करेगी। पैनल खाद्य और कृषि मन्त्री द्वारा रखे गए मामलों पर विचार करेगा और परामर्श देगा।

———

श्री नारायण प्रिंटिंग प्रेस, नवाबगंज, आजाद मार्किट, दिल्ली-६